



गरि के एशियाई शेर

संदर्भ

हाल ही में गुजरात के गरि अभयारण्य के पूर्वी हिस्से में 23 शेरों की मृत्यु हो गई है। एशियाई शेरों की मौतों की शुरुआत के बाद, प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि ये एशियाई शेर कैनाइन डसिटेपर वायरस के संक्रमण के कारण मारे गए हैं। उल्लेखनीय है कि विनयजीवों की सामूहिक रूप से मृत्यु दर हमेशा चिता का कारण रही है और वर्तमान मामला और भी चिंताजनक है क्योंकि गुजरात के जंगल में ही एशियाई शेर अंतिम नविकास के रूप में वास करते हैं। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि महामारी के खतरे के कारण गुजरात से शेरों को मध्य प्रदेश के कुनो अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा लेकिन जंगली जानवर भी राज्य की राजनीति से परे नहीं हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एशियाई शेरों की मौत को एक गंभीर घटना मानते हुए केंद्र सरकार से इस मामले को देखने के लिये कहा है।

कैनाइन डसिटेपर क्या है?

- कैनाइन डसिटेपर वायरस जनति संक्रामक बीमारी है जिससे तमाम तरह की पशु प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं। इस वायरस से श्वसन प्रणाली, आँतों और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है।
- मूत्र, रक्त या लार के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से यह वायरस एक पशु प्रजाति से दूसरे पशु प्रजातिक पहुँचता है।
- कैनाइन डसिटेपर पहली बार यूरोप के स्पेन में 1761 में सामने आया।
- कैनाइन डसिटेपर के खिलाफ पहला टीका इटली के पंटोनी (Puntoni) ने विकसित किया था।

अदालत का आदेश क्या था?

- अपने 2013 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एशियाई शेरों का केवल एक ही आवास है यानी गरि राष्ट्रीय वन और इसके आस-पास के क्षेत्रों तक सीमित क्षेत्र तथा संभावित महामारी या प्राकृतिक आपदा का प्रकोप पूरी प्रजाति को समाप्त कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि सीमित एशियाई शेरों की एक छोटी आबादी बड़ी और व्यापक आबादी की तुलना में बीमारियों और अन्य आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है।
- कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी ध्यान दिलाया कि तंजानिया के सेरेनेगी में शेर की कुल आबादी का 30% कैनाइन डसिटेपर (एक वायरल बीमारी जो जानवरों को प्रभावित करती है) के फैलने के कारण मारे गए थे।

गुजरात राज्य की प्रतिक्रिया

- गुजरात अपने शेरों को स्थानांतरित करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि वह उन्हें अपना "गरव" मानता है।
- गुजरात राज्य की प्रतिक्रिया यह थी कि शेर अब ग्रेटर गरि क्षेत्र में फैले हुए हैं और इससे उनके प्रति खतरा कम हो जाता है।
- गुजरात ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि, "वर्तमान में एशियाई शेरों की आबादी एक ही जगह तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रेटर गरि क्षेत्र के भीतर कई स्थानों पर इनके मेटापोपुलेशन का प्रसार किया गया है।
- इस प्रकार शासन ने संरक्षण व्यवस्था और मजबूत वन्यजीव स्वास्थ्य देखभालों, महामारी मुक्त की उचित व्यवस्था की है।
- उल्लेखनीय है कि ये क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह भौगोलिक दृष्टि से दूर इनकी आबादी को बसाने की मुख्य चिंता को भी दूर करता है।

चिंता के बटु

- वन्यजीव संरक्षण पशु प्रजातियों और उनके नविसों की रक्षा करने का अभ्यास है।
- यह कार्य आंशिक रूप से लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम जैसे कानून के द्वारा तथा ज़िम्मेदार सार्वजनिक व्यवस्था के माध्यम से संरक्षित करके किया जाता है।
- वन्यजीव संरक्षण खुद को पारस्थितिकीय प्रक्रियाओं में बनाए रखने और लुप्तप्राय प्रजातियों हेतु खतरे को कम करने जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित है, कति यह बीमार जंगली जानवरों के इलाज को अपने कार्य में शामिल नहीं करता है।
- हालाँकि, जंगली जानवरों का इलाज और देखभाल करना ज़रूरी है लेकिन यह जीवन और मृत्यु की स्वाभाविक प्रक्रिया के लिये अनुकूल नहीं है और अंततः यह प्रतिक्रिया से समझौता करता है।
- इस तरह के प्रबंधन का एक और उदाहरण राजस्थान के रणथंभौर की बाघनि माचली थी जिसे दुनिया की सबसे अधिक छायाचित्रों वाली बाघनि के रूप में जाना जाता है और वर्ष 2016 में इसकी मृत्यु हुई।

- ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि उसे चिकित्सकीय इलाज दिया जाता था और अक्सर कृत्रिम रूप से भोजन खलाया जाता था ।
- जब जंगली जानवर स्थानीय रूप से विलुप्त हो जाते हैं, तो उन्हें फरि से पेश किया जाता है - जैसे राजस्थान के सरसिका में बाघों को किया गया था ।
- भूखे होने पर उन्हें कृत्रिम रूप से खाना खलाया जाता है और यहाँ तक कि पूरक के रूप में लवण भी प्रदान किया जाता है । इसका प्रमुख उदाहरण जम्मू-कश्मीर के दाचगिम में हंगुल (लाल हरिण) की आबादी है ।
- इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में जंगली जानवर कृत्रिम खाइयों, बाधाओं और बाड़ों में फँस जाते हैं या कई बार वन्यजीव संरक्षण के नाम पर उन्हें संरक्षित क्षेत्र यानी चड़ियाघर में रखा जाता है ।

आगे की राह

- अधिकांश संरक्षणवादी इस बात से सहमत होंगे कि जंगली जानवरों के स्थायित्व के लिये लंबे समय तक किये जा रहे अधिक कृत्रिम चिकित्सा उपचार उचित नहीं हैं ।
- साथ ही, वन्यजीव प्रबंधकों की भूमिका वन्यजीवों के लिये अप्राकृतिक खतरों को कम करने की होनी चाहिये, न कि उनके जीवन को अनैसर्गिक रूप से अधिक समय तक बनाए रखने के लिये ।
- हालाँकि, गुजरात ने शेरों को संरक्षित करने का अच्छा काम किया है, लेकिन उसे इस रोग के संचालकों को कम करने पर भी ध्यान देना चाहिये, जिसमें जंगली कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना भी शामिल है ।
- साथ ही भौगोलिक दृष्टि से एशियाई शेरों की अलग आबादी बनाई जानी चाहिये और गुजरात को राज्य के भीतर तथा गरि परदृश्य के बाहर नए आवासों को बनाने की दशा में भी काम करना चाहिये ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/next-steps-at-gir>